

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छबबीस'

[26/6/2018]

प्रश्न सं. [क. 523]

परिशिष्ट "अ" ✓

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-523 द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, माननीय विधायक

प्रश्नांश "क" के उत्तर में वर्णित परिशिष्ट "अ"

वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत मिण्ड, मुरैना, ग्वालियर में रिक्त पदों का विवरण

विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या			
		मिण्ड	मुरैना	ग्वालियर	
कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश	अपर आयुक्त	00	00	01	
	उपायुक्त	00	00	03	
	सहायक आयुक्त	00	01	03	
	वाणिज्यिक कर अधिकारी	00	00	12	
	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	01	00	30	
	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	01	03	22	
	कराधान सहायक	01	02	20	
	वरिष्ठ निज सहायक	00	00	00	
	निज सहायक	00	00	00	
	शीघ्रलेखक	00	00	06	
	सहायक अधीक्षक	00	00	01	
	सहायक ग्रेड-1	01	01	07	
	लेखाकार	01	01	03	
	सहायक ग्रेड-2	02	04	16	
	सहायक ग्रेड-3	00	00	26	
	आशुलिपिक	01	01	05	
	आई.टी. ऑपरेटर	00	01	05	
	टेलिफोन ऑपरेटर	00	00	01	
	भृत्य / आदेशिका वाहक	03	03	19	
	कार्यालय आबकारी, आयुक्त, मध्यप्रदेश	उपायुक्त, आबकारी	00	00	00
सहायक आबकारी आयुक्त		00	00	00	
जिला आबकारी अधिकारी		00	01	01	
सहायक जिला आबकारी अधिकारी		00	01	04	
आबकारी उपनिरीक्षक		04	04	13	
आबकारी मुख्य आरक्षक		02	00	00	
आबकारी आरक्षक		05	05	25	
वाहन चालक		00	01	00	
मुख्यलिपिक		01	01	00	
लेखापाल		01	01	00	
कम्प्यूटर डाटा एण्ट्री ऑपरेटर		00	00	00	
सहायक ग्रेड-2		00	00	02	
सहायक ग्रेड-3		00	00	01	
दफ्तरी		00	00	00	
भृत्य		00	01	01	
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश		वरिष्ठ जिला पंजीयक	00	01	00
		वरिष्ठ उप पंजीयक	01	00	02
	उप पंजीयक	03	04	03	
	पंजीयन लिपिक	05	05	06	
	सहायक ग्रेड-1	00	01	00	
	सहायक ग्रेड-2	02	02	03	
	सहायक ग्रेड-3	01	01	01	
	भृत्य	02	03	03	
	दफ्तरी	01	00	01	
पोर्ट टाइम भृत्य	02	00	00		

1645

Letter

अनुभाग- अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-523 द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, माननीय विधायक प्रश्नांश "ख" के उत्तर में वर्णित परिशिष्ट 'ब'

क्र.	विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम	विवरण
1.	कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश	ग्वालियर संभाग-1 एवं संभाग-2 के अधीनस्थ कर्मचारियों में से श्री मनोज जैन, सहायक ग्रेड-3 एवं श्री दीपक भदौरिया सहायक ग्रेड-3, भिण्ड वृत्त को क्रमोन्नति का लाभ इनकी विभागीय जांच प्रक्रियांतर्गत होने के कारण नहीं दी गई। इन कर्मचारियों की विभागीय जांच पूर्ण कर ली गई है। विभागीय जांच के निर्णय पर विचार करते हुए, समयमान वेतनमान हेतु गठित समिति के समक्ष यथसंभव शीघ्र विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।
2.	कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) का परिपत्र क्र एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99 दिनांक 17.03.99 एवं 19.04.99 के परिप्रेक्ष्य में 12 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने के पूर्व ही समयमान वेतनमान योजना प्रभावशील होने पर क्रमोन्नति हेतु श्री गुप्ता के नाम पर विचार नहीं किया गया। श्री योगेश गुप्ता, सहा0 ग्रेड-3 को छोड़कर सभी कर्मचारियों को नियमानुसार क्रमोन्नति/पदोन्नति दी गयी है। म0प्र0 शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी, 2008 के लागू होने से समयमान वेतनमान एवं पदोन्नति हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा श्री योगेश गुप्ता सहायक ग्रेड-3 की 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर विचार किया गया है। श्री योगेश गुप्ता, सहा0 ग्रेड-3 द्वारा समयमान वेतनमान/पदोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं किये जाने से पदोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। समयमान वेतनमान के संबंध में संभागीय स्तर पर गठित समिति की आगामी बैठक में विचार संभव होगा ऐसी स्थिति में निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।
3.	कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक	वर्तमान में क्रमोन्नति योजना लागू नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है एवं इस संबंध में नवीन दिशा निर्देश विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं इस कारण से पदोन्नतियां नहीं हो सकी। पदोन्नति हेतु निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-523 द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, माननीय विधायक
प्रश्नांश "ग" के उत्तर में वर्णित परिशिष्ट 'स'

क्र.	विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम	विवरण
1.	कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश	इन कर्मचारियों की विभागीय जांच लंबित रहने के कारण समयमान वेतनमान नहीं दिया गया। अब विभागीय जांच पूर्ण कर ली गई है। विभागीय जांच के निर्णय पर विचार करते हुए विभागीय समयमान वेतनमान हेतु गठित समिति के द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
2.	कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश	विभागीय पदोन्नति/क्रमोन्नति (समयमान वेतनमान) समिति की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की गयी है। जिसमें निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है साथ ही क्रमोन्नति (समयमान वेतनमान) स्वीकृत किया गया है। श्री योगेश गुप्ता, सहा0 ग्रेड-3 द्वारा समयमान वेतनमान/पदोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं किये जाने से पदोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है।
3.	कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक	वर्तमान में क्रमोन्नति योजना लागू नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है एवं इस संबंध में नवीन दिशा निर्देश विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं इस कारण से पदोन्नतियां नहीं हो सकी। पदोन्नति हेतु निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-523 द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, माननीय विधायक
प्रश्नांश "घ" के उत्तर में वर्णित परिशिष्ट 'द'

क्र.	विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम	विवरण
1.	कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश	श्री मनोज जैन, सहा0 ग्रेड-3 एवं श्री दीपक भदोरिया, सहा0 ग्रेड-3 भिण्ड वृत्त की विभागीय जांच प्रक्रियाधीन रहने से इन्हें क्रमोन्नति (समयमान वेतनमान) एवं पदोन्नति देने के संबंध में विचार नहीं किया गया है।
2.	कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश	क्रमोन्नति से संबंधित आदेश निरस्त नहीं किया गया है। श्री सतेन्द्र सिंह जादौन, लेखापाल, संभाग ग्वालियर द्वारा पदोन्नति फारगो किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में कार्यालयीन आदेश पृष्ठा क्रमांक 1(स) स्था. /पदो.69-15/2015/2725 दिनांक 15.10.2015 से पदोन्नति निरस्त की गयी है।
3.	कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक	वर्तमान में क्रमोन्नति योजना लागू नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है एवं इस संबंध में नवीन दिशा निर्देश विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं इस कारण से पदोन्नतियां नहीं हो सकी। पदोन्नति हेतु निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

W

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल